

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा-तोलब-मयकोटी व मालकोटी-डांगी- गुनाउ हल्का वाहन मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण हेतु। FP/UK/ROAD/11810/2015

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 24-08-2017

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक- 24-08-2017 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी, के पत्रांक 2217/12-1 दिनांक 25-01-2018 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Short narrative of the project/scheme given in para -A-1 (iii) of online Part-I does not give adequate information about the project/scheme.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के Form A के part I के section A - (ii) में Short narrative को अपलोड कर दिया गया है।
2	The present proposal is meant for widening of LVR road to motor road specification but the details of past proposal in respect of LVR road has not been given in the Table in para-B-1 of online Part-I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है, कि LVR मोटर मार्ग का निर्माण 1980 से पहले से हुआ था। जिस समय पर कोई प्रस्ताव नहीं बना था।
3	Village wise breakup of forest land has not been given in the table in para- B-2.3 of online Part-I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के Form A के part I के B-2.3 में Village wise breakup को अपलोड कर दिया गया है।
4	The data given in para- E of online Part-I about employment likely to be generated do not appear to be correct.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के Form A के part I के E में Employment details को अपलोड कर दिया गया है।
5	In the FRA certificate issued by the District Collector, 'NA' has been written against para-(a) and para- (b) which is not proper. Revised FRA certificate is required to be issued.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के Form A के part I के K(a) में FRA details को अपलोड कर दिया गया है।
6	Under FRA, the proceedings of the VLC meeting has been provided for Kumoli, Malkoti & Karndhar villages of Kumoli-Malkoti Gram Panchayat. It is seen from the information given in para-B-2.3 of online Part-I that the forest land involved in the project falls within the jurisdiction of Malkoti & Tolab villages but the proceedings of VLC meeting for Tolab village has not been provided.	प्रस्तावक विभाग द्वारा VLC में ग्रामों का नाम B-2.3 में अंकित कर दिया गया है, कि साथ ही VLC meeting का प्रमाण पत्र पार्ट I के (k-a) में अपलोड कर दिया गया है।
7	In the CA scheme, the estimated amount of CA was mentioned as Rs. 9,94,488.50 which has been corrected to Rs. 10,93,935.00 by hand. But, the corrected CA scheme has not been provided in the hard copy of the proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा CA scheme को Form A के part II में अपलोड कर दिया गया है।
8	Original copies of Part III, IV & V have not been provided in the hard copy of the proposal.	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी डाक द्वारा प्रेषित की जा रही है।
9	Estimated cost of the project given in para- A-1 (vii) of online Part-I does not appear to be correct.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है, कि Estimated cost of projects corrected (25.01 lacks for phase, I for conversion LVR to Motor Road).

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी